

छत्तीसगढ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की ऑनलाईन योजनाएँ

cghandicrafts.cgstate.gov.in

03. औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण अनुदान:-

परम्परागत एवं प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राशि रू. 5000/- तक की सीमा में औजार उपकरण अनुदान एवं राशि रूपये 10000/- तक कर्मशाला निर्माण अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। पिछड़े/सामान्य वर्गों के शिल्पियों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के शिल्पियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान की सुविधा है।

औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण हेतु आवेदन पत्र :-

निराकरण की समय
सीमा 30 दिवस

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड,
रायपुर (छ.ग.)

पासपोर्ट साइज का
रंगीन फोटोग्राफ्स
अभिप्रमाणित कर
लगावें।

विषय:- **छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड से औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण अनुदान स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन पत्र।**

1. (क) इकाई का नाम व पूर्ण पता :
- (ख) आवेदक का नाम पिता का नाम :
- व पूर्ण पता (यदि आवेदक स्वतः मालिक है) :
2. शिल्पी का नाम :
3. इकाई की मालिकी का विवरण तथा :
- मालिकी भागीदारी का विवरण एवं पूर्ण पता (यदि सहकारी समिति है तो उनके पंजीयन की प्रति संलग्न की जावें) :
4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम मय :
- वल्दियत :
5. छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड :
- से किये गये पंजीयन :
- क्रं. एवं दिनांक :
6. क्या आवेदक स्वयं कारीगर है या :
- कारीगर रखकर काम करवाता है। :
7. (क) क्या आवेदक प्रशिक्षित है यदि हां :
- तो उसका पूर्ण विवरण। :
- (ख) यदि आवेदक पुस्तैनी कारीगर है :
- तो पिछले कितने वर्ष से शिल्प में :
- कार्यरत है। :
8. आवेदक के पास उपलब्ध औजार :
- एवं उपकरण का विवरण :
09. क्या शिल्पी अ.जा./या आदिवासी है, :
- यदि हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें। :

10. प्रस्तावित क्रय औजार/उपकरणों की सूची संलग्न करें (कीमत सहित) :
11. शिल्पी/समिति की अचल संपत्ति का विवरण :
12. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम जिनसे जानकारी प्राप्त की जा सके । : 1.
2.

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री
पिता श्री निवासी जाति
के है जो इस जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी में आती है।

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं पद सील

स्थान :

नोट—उपरोक्त प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी जैसे सांसद/विधायक/जिला संयोजक आदिम जाति विभाग/तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी/पंचायत के सरपंच इत्यादि का होना चाहिये । प्रमाण पत्र में जाति/श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।

निरीक्षण टीप:—

1. आवेदक कार्यरत शिल्पी है और उसे वास्तव में कर्मशाला की आवश्यकता है ।
2. आवेदक द्वारा पूर्व में प्रार्थिक सहायता, अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं की गई है ।
3. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच की गई और सही पाई गई है ।
4. इन्हे कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान देने की अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
एवं पद सील

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की सिफारिश

.....
.....
.....

महाप्रबंधक सील

अनुबंध पत्रक

(औजार उपकरण अनुदान के लिये)

मैं पिता श्रीजाति
निवासी जिला यह अनुबंध पत्र छ.ग. हस्तशिल्प विकास
बोर्ड के हित में आज दिनांक को लिख रहा हूं कि मुझे मेरे व्यवसाय
शिल्प में सुधार एवं उत्पादन वृद्धि के लिये जो औजार उपकरण हेतु रु. का अनुदान हस्तशिल्प विकास
बोर्ड के आदेश क्रं. दिनांक द्वारा स्वीकृत किया गया है इसके लिए निम्न शर्त मुझे एवं
मेरे परिवार वालों को मान्य है :-

1. बोर्ड से प्राप्त अनुदान से निर्मित कर्मशाला का उपयोग मेरे एवं मेरे परिवार के द्वारा अपने शिल्प के उत्पादन वृद्धि हेतु किया जायेगा।
2. अनुदान से निर्मित कर्मशाला को मेरे एवं मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी के यहां रहन नहीं रखा जावेगा और न ही कभी किसी को विक्रय किया जावेगा।
3. शिल्पी द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के माध्यम से कर्मशाला के आधार पर यदि की जाती है तो हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर से पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।
4. हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को इस कर्मशाला का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। अतः जब कोई अधिकारी इस कर्मशाला का निरीक्षण करना चाहेंगे तो मैं या मेरे परिवार के सदस्य कर्मशाला का अवलोकन करायेगें।
5. निगम द्वारा कर्मशाला का निर्माण लोक निर्माण विभाग, लघु उद्योग निगम, गृह निर्माण मण्डल, जिला ग्रामीण प्रकोष्ठ का स्थानीय विकास प्राधिकरण इसमें से किसी भी एक से कराया जावेगा जो मुझे मान्य होगा।
6. यदि निर्माण हेतु मुझे सीधे ही अनुदान की राशि दी जाती है तो इसका उचित उपयोग कर्मशाला निर्माण हेतु मेरे द्वारा किया जावेगा तथा उसकी पूर्ण जानकारी बोर्ड के अधिकारियों या जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी। यदि कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान की राशि का दुरुपयोग पाया गया तो अनुदान की राशि एक मुश्त में हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा वापस ले ली जावेगी जो भू-राजस्व की वसूली की भांती ही की जावेगी।

उपरोक्त अनुबंध पत्रक में लिखी गई सभी शर्तें मेरे द्वारा समझ ली गई हैं एवं निम्नांकित दो साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मेरे द्वारा किया गया है जो वक्त जरूरत काम आवेगा।

स्थान

अनुबंधकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

अंगूठे का निशान

साक्षी :-

पूरा नाम व पता (1)

.....

.....

(2)

.....

.....

समक्ष

प्रति हस्ताक्षर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र